

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या।

प्रकीर्ण आदेश संख्या- 213 /2026

आदेश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या के तत्वाधान में द्वितीय शनिवार दिनांक 09.05.2026 को दीवानी न्यायालय, अयोध्या प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिन-जिन न्यायालयों में मुकदमें राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किये गये हैं, उन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है, कि वे अपने न्यायालय/कार्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित वेष्टभूषा में दिनांक 09.05.2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

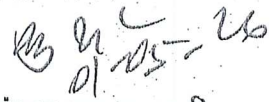
राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाने वाली व्यवस्था केन्द्रीय नाजिर एवं उप नाजिर करेंगे। उप नाजिर उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिनकी ड्यूटी राष्ट्रीय लोक अदालत में लगायी गयी है।

राष्ट्रीय लोक अदालत की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी/सदर मुंसरिम देखेंगे तथा वे अपने सहयोग हेतु द्वितीय लिपिक एवं कार्यालय का सहयोग प्राप्त करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न न्यायालयों के बैठने की समुचित व्यवस्था कर ली गयी है। सभी व्यवस्था तथा उपस्थिति 09:30 बजे प्रातः सुनिश्चित कर ली जाय।

समस्त पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही न्यायालय प्रांगण छोड़ेंगे कि उनके द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णीत वाद NJDG पर Upload हो गया है।

उपरोक्तानुसार समस्त संबंधित को सूचित किया जाय एवं इस आदेश की प्रति नोडल अधिकारी लोक अदालत, प्रभारी अधिकारी नजारत तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक- 01.05.2026

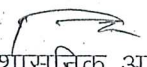

(रणंजय कुमार वर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
अयोध्या।

संख्या- 3104 अयोध्या/दिनांक 01 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. नोडल अधिकारी, लोक अदालत, अयोध्या।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत/केन्द्रीय नाजिर।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या।
4. ☒ समस्त संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित पत्रावली।

आदेशानुसार,


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, अयोध्या।